राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 589 / 2023

देवेन्द्र कुमार जांगिड़ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, सीकर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सीकर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति पलसाना, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2023
आदेश की दिनांक : 03.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्रामीण विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत शिश्यू, पंचायत समिति पलसाना, सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण ग्राम पंचायत शिश्यू से ग्राम पंचायत मण्ढ़ा किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि उक्त आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 89(8)(ii) में यह प्रावधान है कि *"Transfer shall be made after consulation with the Pradhans be made. "or the Pramukhs, as the case may be of the Panchayat Samitis or the Zila Parishad from and to which such transfer is proposed to be made."* के उल्लंघन में जारी किया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 6438 / 2022 चंचल कुमार राजपुरोहित बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2022 (अनुलग्नक–5) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान तथ्यों पर आधारित बताया है। स्थानान्तरण से पूर्व परामर्श नहीं किया गया है तद्नुसार आदेश वैध एवं नियमानुसार नहीं होना प्रकट होता है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी दुर्भावना के जारी किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए. आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य